मु0न0:– 20/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जि[illegible]

रजू दिनांक:– 09.09.2024

मु0न0 20/2024

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान शर्मा निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी हनुमान कॉलोनी हिण्डोन सिटी जिला करौली

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांक:– 29.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डौरावली की आराजी ख0न0 1169/0.01, 1170/0.85, 1171/0.23, 1174/0.33, 1175/0.22, 1176/0.14, 1177/0.12, 1178/0.42, 1179/0.43, 227/0.34, 228/0.38, 229/0.22, 231/0.24, 232/0.27, 233/0.08, 234/0.14, 234/1458/0.18, 235/0.09, 440/0.20, 441/0.26, 442/0.16, 443/0.32, 447/0.22, कुल किता 23 कुल रकवा 5.85 है0 मे प्रार्थी बहिस्सा 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष आराजी की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात साबिक रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता हरभान के हक मे दर्ज रही है। हरभान की फौतगी के बाद भूमि की खातेदारी आगामी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते समय प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान के स्थान पर गांव मे बोलता नाम नरेश कुमार अवस्थी पुत्र हरभान दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जबकि सायल का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान है, जो सायल के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से बखूबी साबित है। एवं नरेश पुत्र हरभान नाम का गांव मे कोई व्यक्ति नही है।

बांका दिनांक 29.08.2024 को प्रार्थी ने तहसीलदारजी टोडाभीम से उक्त दुरूस्ती को शुद्ध कराने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार जी टोडाभीम ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अत: प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम डौरावली की आराजी [illegible]69/0.01, 1170/0.85, 1171/0.23, 1174/0.33, 1175/0.22, 1176/0.1[illegible] [illegible]78/0.42, 1179/0.43, 227/0.34, 228/0.38, 229/0.22, 231/0.24, 232/0.[illegible] 233/0.08, 234/[illegible] 234/1458/0.18, 235/0.09, 440/0.20, 441/0.26, 442/[illegible]16, 443/0.32, 447/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

कुल किता 23 कुल रकवा 5.85 है0 मे नरेश पुत्र हरभान के स्थान पर नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिये जावे।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि ग्राम डौरावली की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 81 कुल किता 23 मे प्रार्थी का नाम नरेश पुत्र हरभान दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2057–60 मे खाता न0 235 के सामने नामांकरण न0 24 दिनांक 15.08.2000 अनुसार हरभान पि0 दुर्गा बहक भगवन्ती वेबा हरभान, राजेश, नरेश पि0 हरभान हि.ब. स्वीकार का नोट अंकित है। ग्राम डौरावली मे प्रार्थी का बोलता नाम नरेश है जो कि गलत है। ग्राम डौरावली मे नरेन्द्र व नरेश एक ही व्यक्ति है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी के दस्तावेजात मे नरेन्द्र पुत्र हरभान जाति ब्राह्मण दर्ज है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम डौरावली की आराजी कुल किता 23 कुल रकवा 5.85 है0 मे प्रार्थी बहिस्सा 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष आराजी की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात प्रार्थी के पिता हरभान से विरासत मे प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड मे नामांतकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान के स्थान पर गांव मे बोलता नाम नरेश कुमार अवस्थी पुत्र हरभान दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान है, जो प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से बखूबी साबित है। एवं नरेश पुत्र हरभान नाम का गांव मे कोई व्यक्ति नही है।

पैरोकार सरकार ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम डौरावली की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 81 कुल किता 23 मे प्रार्थी का नाम नरेश पुत्र हरभान दर्ज रिकार्ड है। जो कि नामांकरण न0 24 दिनांक 15.08.2000 अनुसार हरभान पि0 दुर्गा बहक भगवन्ती वेबा हरभान, राजेश, नरेश पि0 हरभान हि.ब. का नोट अंकित है। ग्राम डौरावली मे नरेन्द्र व नरेश एक ही व्यक्ति है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी के दस्तावेजात मे नरेन्द्र पुत्र हरभान जाति ब्राह्मण दर्ज है।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम डौरावली की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 81 कुल किता 23 मे प्रार्थी का नाम नरेश पुत्र हरभान दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी अनुसार अन्य सहखातदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावल मे शामिल जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2057–60 मे खाता न0 235 के सामने नामांकरण न0 24 दिनांक 15.08.2000 अनुसार हरभान पि0 दुर्गा बहक भगवन्ती वेबा हरभान, राजेश, नरेश पि0 हरभान हि.ब. स्वीकार का नोट अंकित है। प्रार्थी के दस्तावेजात सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1985 के नामांक न0 629647, उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 22.5.1998, परिवार राशन कार्ड न0 200003633597, आधार कार्ड न0 8585 3451 9457, सरपंच ग्राम पंचायत जौ द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान शर्मा का अंकन है। इसी अनुसार तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट मे कथन किया है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक...

Scanned with OKEN Scanner

मु0न0:– 20/2024

विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम डौरावली की आराज़ी ख0न0 1169/0.01, 1170/0.85, 1171/0.23, 1174/0.33, 1175/0.22, 1176/0.14, 1177/0.12, 1178/0.42, 1179/0.43, 227/0.34, 228/0.38, 229/0.22, 231/0.24, 232/0.27, 233/0.08, 234/0.14, 234/1458/0.18, 235/0.09, 440/0.20, 441/0.26, 442/0.16, 443/0.32, 447/0.22, कुल किता 23 कुल रकवा 5.85 है0 मे नरेश पुत्र हरभान के स्थान पर नरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र हरभान शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner